कार्यवृत्त

सोमवार, 30 पौष, शक संवत्, 1935

(दिनांक 20 जनवरी, 2014 ई0)

खण्ड-38
अंक-2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न सं0 1 से असन्तुष्ट होकर मा0 सदस्य कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' सहित भाजपा के कुछ सदस्य 'वेल' में आकर उत्तराखण्ड वन विकास निगम के एम0डी0 के निलम्बन तथा समयबद्ध जांच की मांग को लेकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष के अनुरोध किये जाने पर 'वेल' में खड़े सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण किया।

श्री अध्यक्ष ने पूरे प्रकरण की तीन सप्ताह में जांच कराने व निगम के एम0डी0 को जांच पूर्ण होने तक अन्यत्र अटैच करने के निदेश सरकार को दिये।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 में 07 सूचनाए प्राप्त हुई जिसमें श्री संजय गुप्ता की सूचना जो एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार व हत्या से सम्बन्धित है को वे नियम- 58 में सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि जो नियम-299 में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना मा0 सदस्य की द्विप्रतिक सूचना प्राप्त हुई है, जिसे नियमावली में सूसंगत परिवर्तन किए जाने के उपरान्त ही सूचना ली जा सकेंगी।

आज नियम-300 के अन्तर्गत 09 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें से निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीः-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	"विधान सभा क्षेत्र सल्ट के स्याल्दे विकासखण्ड में नैलनामक स्थान पर स्थित चिकित्सालय विभागीय अनदेखी के कारण बन्द हो जाने से जनता में भारी रोष के संबंध में।"
2. श्री मदन कौशिक	"राज्य के अन्तर्गत सिंचाई विभाग उद्योगशाला खण्ड रूड़की में कार्यरत 137 कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह उपार्जित अवकाश, ए0सी0पी0 बोनस आदि का लाभ नही दिये जाने के संबंध में।"
3. श्री चन्दन राम दास (पढ़ी हुई मानी गई)	"विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर की ग्वाड़-पजेड़ा पेयजल योजना, जेठाई पम्पिंग योजना तथा गरूड़ वृहत पेयजल योजना बहुत समय से स्वीकृत न हो पाने से पानी की कमी से क्षेत्र में उत्पन्न आन्दोलन की स्थिति के संबंध में।"
4. श्रीमती विजय बड़थ्वाल (पढ़ी हुई मानी गई)	"विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत गंगा नदी के तट पर बसे गांव गंगा भोगपुर तल्ला में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त तटबन्ध का निर्माण कराने के संबंध में।''
5. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर (पढ़ी हुई मानी गई)	"विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम धर्मावाला व वन विभाग की सीमा से लगे अन्य क्षेत्रों में हाथियों व जंगली जानवरों से बचाव हेतु सुरक्षा दीवार न बनवाने के कारण क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के संबंध में।''

6. श्री प्रदीप बत्रा (पढ़ी हुई मानी गई)	"विधान सभा क्षेत्र रुड़की के अन्तर्गत सिविल लाइन्स रुड़की में विरासतन रह रहे लगभग पन्द्रह सौ आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्ति धारकों को शासन द्वारा आवंटित कोई पट्टा न होने पर भी नई नजूल नीति 2009 का लाभ दिये जाने के संबंध में।"
7. श्री पूरन सिंह फर्त्याल (पढ़ी हुई मानी गई)	"विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट अन्तर्गत विकास खण्ड पुल हिन्डोला, लोहाघाट नगर एवं पाटी में पेयजल की भारी किल्लत के संबंध में।"

संसदीय कार्य मंत्री ने हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2013 को सदन के पटल पर रखा।

चिकित्सा मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को सदन के पटल पर रखा।

राजस्व मंत्री ने उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2009-2010 एवं वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन (ए0टी0आर0 सहित) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री मंत्री ने उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2014 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री मंत्री ने उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के निम्नलिखित संकलनों को सदन के पटल पर रखा :-

(1) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित, सह उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबन्धन) विनियम, 2013

(2) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल टी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2013

(3) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :-

(1) उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 03 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

(2) राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का अट्ठाइसवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड विनियोग (2013-2014 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

(4) हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का तीसवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का इकत्तीसवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का तैतीसवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा, (अधिकरण)) (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का चौतीसवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का पैंतीसवां अधिनियम बन गया।

श्री राजेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड रूद्रपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा भमरौला के रामनगर में कन्या जूनियर हाई स्कूल रामनगर का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री स्वामीनाथ चतुर्वेदी, निवासी-रामनगर, पो0-कावड़ा, जनपद-ऊधम सिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट की ग्राम पंचायत सीरी के भैसुड़ी गधेरे में आवागमन हेतु 25 मीटर गार्डर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री प्रवीण सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम-सीरी, विकास खण्ड-कपकोट, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के ग्राम बिलखेत-गैराड़ से भैरूचौबट्टा होते हुए ग्राम डालनखुनौली तक 4 कि0मी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती आरती गोस्वामी, ग्राम व पो0-भैरूचौबट्टा विकास खण्ड कपकोट, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर की तहसील गरूड़ के अन्तर्गत ग्राम माल्दे, तैलीहाट, नौघर, भककुनखोला व बैजनाथ में गोमती नदी से हो रहे भू-कटाव/बाढ़ से सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री गोविन्द सिंह, निवासी-ग्राम सिटोली, विकास खण्ड-गरूड़, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के बास पठान-रावत सेरा मोटर मार्ग से ग्राम डोबरगाड़ा (धारी-2) से धारी मध्या होकर ग्राम लटोला-मछियाकोट-माणादिगोली-सिमकुना अम्बेडकर गांव (कांडा) तक सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती मोहिनी देवी, प्रधान, निवासी- पैठाण, विकास खण्ड-बागेश्वर, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट की ग्राम पंचायत पोथिंग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क में दैवीय आपदा से बेलन गधेरा, सुअरगाड मोनिया गधेरे में ध्वस्त पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती पुष्पा धामी, प्रधान, निवासी- ग्राम पंचायत चीराबगड़, विकास खण्ड-कपकोट, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट की ग्राम पंचायत खाती में उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन के माध्यम से विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में" श्री हेमा दानू, सदस्य-क्षेत्र पंचायत, निवासी ग्राम- बाछम, विकास खण्ड-कपकोट, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में खारवगड़, बडेत, बुरमौला व हरासिंग्याबगड़ गावों का रेवती नदी से हो रहे भू-कटाव को रोके जाने सम्बन्ध में" श्री हयात सिंह बड़ती, निवासी ग्राम- बड़ेता, पोस्ट नाचती, विकास खण्ड-कपकोट, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में सरयू नदी से चीराबगड़ व तिमुलाबगड़ आदि स्थानों पर भू-कटाव रोकने के सम्बन्ध में" श्रीमती पुष्पा धामी, प्रधान, निवासी- ग्राम पंचायत चीराबगड़, विकास खण्ड-कपकोट, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के पुंगर (दुगनाकुरी) के मध्य बनलेख में गैस गोदाम की स्वीकृति दिये जाने एवं गैस गोदाम का नामकरण शहीद नरेन्द्र कुमार सिंह की स्मृति में करवाये जाने के सम्बन्ध में" श्री हयात सिंह, निवासी ग्राम- जारती, विकास खण्ड- कपकोट, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में स्थित रा0इ0का0 कपकोट में रिक्त प्रधानाचार्य, इण्टर प्रवक्ता पदों को सृजित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री बलवन्त सिंह कपकोटी, सदस्य (वार्ड न0- 1, मण्डल खेत) नगर पंचायत कपकोट, विकास खण्ड- कपकोट, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पुंगर घाटी (दुगनाकुरी) के मध्यस्थल बनलेख में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री हयात सिंह, निवासी ग्राम- जारती, विकास खण्ड- कपकोट, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के बैड़ा, मझेड़ा, जारती प्रधानमंत्री वाली रोड़ को आगे पपोली, रीमा, सुरकोलीगांव, दियाली कुरोली, बैकोड़ी से सनगाड वाली रोड़ से मिलान के सम्बन्ध में'' श्री दिनेश सिंह गड़िया, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सुरकाली गांव, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के जखेड़ी (काफली) पुडकुनी, चलकाना-जगथाना से सुकुण्डा ताल तक पैदल मार्ग बनाने एवं गडेरा से जारती तक पैदल मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री बलवन्त सिंह कपकोटी, सदस्य (वार्ड न0- 1, मण्डल खेत) नगर पंचायत कपकोट, विकास खण्ड- कपकोट, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के स्थान बनलेख के स्थान पथकन्या में जिला योजना से स्वीकृत मोटर मार्ग को प्राथमिकता के रूप में लम्बित कार्य को अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री हयात सिंह, निवासी ग्राम- जारती, विकास खण्ड- कपकोट, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मौउडियार, जुनायल, सुन्दिल तथा अम्बेडकर गांव ग्वातोली को सड़क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में'' श्री दिनेश सिंह गड़िया, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सुरकाली गांव, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर में उच्च प्राथमिक विद्यालय गैराड़ का (दुग जू0 हाईस्कूल) प्रान्तीयकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री प्रताप सिह, निवासी- गैराड़, पो0- गैराड़, विकास खण्ड- बागेश्वर, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा, '' जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झाकरा, कपकोट, बागेश्वर का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में' श्री गिरीश चन्द्र जोशी, निवासी- शिवालय, वार्ड-3, नगर पंचायत-कपकोट, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा '' जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के न्याय पंचायत नीलकंठ के गांवों की पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में'' श्री विक्रम सिंह रौथाण, निवासी ग्राम- मराल (तलाई) पो0- नीलकंठ, जनपद- पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के न्याय पंचायत क्षेत्र डाबर के गांवों की पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में'' श्री सोहन लाल डबराल, निवासी ग्राम- कूंतणी, पो0- डबोलीखाल, जनपद-पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में राजकीय बालिका इण्टर कालेज पाये में अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में'' श्री दीवान सिंह नेगी, निवासी ग्राम- दर्शनी, पो0- गरूड़, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के रूड़की शहर में खेल के मैदान नेहरू स्टेडियम के विकास के सम्बन्ध में'' श्री प्रेमनाथ, निवासी-233/242 गली न0-5 रूड़की एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के रूड़की शहर में पठानपुरा से आदर्श नगर एवं सोलानीपुरम के कच्चे नाले का बहाव अवरूद्ध होने से जलभराव की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में'' श्री भारत कपूर, निवासी 233/242 गली न0- 5, रूड़की एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेटा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में'' श्री सोहन सिंह नेगी, निवासी- ग्राम पंचायत भेटा, पो0-देवल बिछराल, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर में सानिउडियार से ग्राम कड़िया गांव बजेत-भेटा-सागड़ा-दौला लिंक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सोहन सिंह नेगी, निवासी- ग्राम पंचायत भेटा, पो0-देवल बिछराल, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित किया।

श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कार्यसूची के मद संख्या 14 (1) है। उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 03 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया और आज की कार्यसूची की मद संख्या-46 पर आप अनुज्ञा मांग रहे हैं दूसरे फ्रेश लोकायुक्त बिल की। आखिर फ्रेश लोकायुक्त बिल का क्या मतलब सम्बन्धी प्रकरण पर भाजपा के सभी सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य राजस्व मंत्री ने उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य राजस्व मंत्री ने उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य सदन की कार्यवाही 01 बजकर 03 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मार्शल विधान सभा ने सूचि किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन **03 बजकर 15** मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सदन की कार्यवाही 3:15 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था प्रश्न उठाते हुए कहा कि लोकायुक्त विधेयक जो आज अधिनियम बन गया है तो पुनः विधेयक लाने की आवश्यकता क्यो है, इस पर विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि कृपया आसन ग्रहण करें, इस पर सभी सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण किया।

आज नियम-58 के अन्तर्गत कुल 08 सूचनाएं प्राप्त हुई।

प्रदेश में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के कारण पर्वतीय जनपदों के विद्यालयों के शिक्षक विहीन विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने अपने विचार व्यक्त किए संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से असन्तुष्ट मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने सदन का त्याग किया। श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न होने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक तथा श्री आदेश चौहान ने अपने विचार व्यक्त किये। कृषि मंत्री के उत्तर भाषण से असन्तुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया। श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत ग्राम डांडा लखोड़ तथा ग्राम नूरीवाला में स्थित क्रीड़ास्थल तथा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर आवासीय कालोनी स्थापित किये जाने विषयक सूचना की अग्राह्यता पर मा0 सदस्य श्री गणेश जोशी, नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये। राजस्व मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

भावर क्षेत्र में हल्द्वानी से रामनगर तक बजट के अभाव में नलकूपों के रख रखाव न होने के कारण पेयजल व सिंचाई की गम्भीर समस्या विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री बंशीधर भगत ने अपने विचार व्यक्त किये। पेयजल मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों को पी0पी0पी0 मोड पर संतोषजनक संचालित न किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री पूरन सिंह फर्त्याल ने अपने विचार व्यक्त किये। स्वास्थ्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

हरिद्वार में नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार व हत्या किये जाने की नियम 310 की सूचना को नियम 58 में ग्राह्यता पर मा0 सदस्यों यतीश्वरानन्द, आदेश चौहान, मदन कौशिक तथा नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा लोकायुक्त बिल लाये जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

> ''यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2014 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी 'वेल' में खड़े सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

"प्रदेश में बन्दरों के आंतक से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में हो रहे जान-माल के नुकसान के संबंध में" श्री चन्दन राम दास की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है तथा

"माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रूड़की शहर में यातायात नियन्त्रण हेतु स्पीड ब्रेकर एवं ट्रैफिक कन्ट्रोल लाइटें लगाये जाने की घोषणा के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न होने के संबंध में" श्री प्रदीप बत्रा की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 04 बजकर 30 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी, 2014 तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।